कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1138 / 2022 / 10–11 / 1654 भोपाल, दिनांक 18-3-24

प्रेषक :–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– अलीराजपुर जिले में ए.डी.बी.–6 योजना के अन्तर्गत अलीराजपुर–मथवाड़ मार्ग के उन्नयन / चौड़ीकरण हेतु 4.970 हेक्टेयर (पूर्व में आवेदित 5.874 हेक्टेयर) वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/6-MPR018/2022-BHO दिनांक 13.02.2024 .

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

शर्तें–A

1– शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रू0 1,01,90,950 / – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 06.06.2022 को ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ROAD/138582/2021 में जमा की जा चुकी है।

2– शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में दी गई गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित / नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर का आदेश, फार्म पी–2 आदि की छायाप्रति संलग्न है।

3– शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् वन अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

4– शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 47,60,166 / – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 26.02.2024 को जमा की जा चुकी है।

5– शर्त क्रमांक (5) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि क्रमशः दिनांक 06.06.2022 एवं 26.02.2024 को एड–हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

6– शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, अलीराजपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 03.03.2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

–2–

7– शर्त क्रमांक (7 से 8 तक) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

8– शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग में निकलने वाले मलबे का उपयोग embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष मलबे को वनभूमि में डिस्पोस्ड ऑफ नहीं किया जावेगा, इस संबंध में आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

9– शर्त क्रमांक (10) के पालन में ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file ऑलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/138582/2021 में अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 48823 है।

8– शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

.9– शर्त क्रमांक (12) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया है।

9– शर्त क्रमांक (13) के पालन में आवेदक संस्थान को कार्य करने की अनुमति जारी करने के उपरांत आपको पृथक से प्रेषित की जावेगी।

<u>शर्ते–B</u>

1– शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2– शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।

3– शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4– शर्त क्रमांक (4) से (5) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

4– शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि उपरोक्त मार्ग मुख्य जिला मार्ग (MDR) है, जिसमें Central Verge नहीं होता है। मार्ग निर्माण के पश्चात वन विभाग के निर्देशानुसार शासकीय भूमि पंचायत भवन, स्कूल, छायावास या स्वास्थ्य केन्द्र आदि में वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा।

4– शर्त क्रमांक (7) से (16) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

13.03.24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ–5/1138/2022/10–11/1655 भोपाल, दिनांक 18-3-24

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।
3. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, धार, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

18.03.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल